सं0-26/1146/62-2-2014-2/3(20)/2014

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 15 मई,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर में केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधारित लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण योजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-666/ल0सिं0/बजट-के0पो0/2014-15, दिनांक 15-04-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-10.00 लाख (रूपया दस लाख मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि रू0-2.50 लाख (रूपया दो लाख पाचास हजार मात्र) महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उपर्युक्त समग्र धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14-03-2014 में विर्निष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय/प्राविधानों का अक्षरश अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(3) यह धनराशि चालु वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में चालू योजनाओं के अधीन केन्द्र पोषित/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण योजना पर व्यय हेतु है।

http://shasanadesh.uprnic.in

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा मे अधिक व्यय न किया जाय और व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाये। आपको स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(5) तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण योजना (केन्द्रांश 50 प्रतिशत*राज्यांश 50 प्रतिशत)-21-छात्रवृतियाँ और छात्र वेतन"** के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-795/दस-'2014-231/2014, दिनांक 14-03-2014 के तहत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

ह0/

(अनन्त कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव।

<u>सं0-1146(1)/62-2-2014, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय'नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन।
3- राज्य योजना आयोग अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन।
5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in